(6)

21/7/25

पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्व० जंगीर सिंह ने वादग्रस्त आराजी मे अपना वर्णित हिस्सा का त्याग कर दिया था क्यो कि जंगीर सिंह को एक अन्य तहसील रावला मे बतौर भूमिहीन 22 बीघा भूमि आवंटित करवानी चाही थी एवं इस बाबत का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अतः वादग्रस्त आराजी मे आज दिनांक को स्व० जंगीर सिंह का हक हिस्सा शेष नहीं रहने से प्रतिवादी 1 ता 5 का कोई हक नहीं बनता है। अतः जंगीर सिंह की फौतगी के बाद विरासतन नामान्तरण दर्ज होने से प्रतिवादीगण निषिद्ध रहे।

प्रतिवादी 1 ता 5 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एक 2 KLD मे जंगीर सिंह द्वारा भूमि आवंटित करवाई थी जिसमे जंगीर सिंह द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज आराजी के तथ्य प्रकट किए थे। वादग्रस्त आराजी मे जंगीरसिंह द्वारा कभी अपने हक का त्याग नहीं किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि अपीलार्थी 1 ता 5 के दादा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के

पिता शंकर सिंह से प्रश्नगत आराजी पंजीकृत वसीयत दिनांक 7/5/2010 के आधार पर जरिए नामान्तरण संख्या 66/21/12/2010 एवं शंकर सिंह की पुत्रियाँ माया कौर, पालो कौर एवं वीरा बाई द्वारा जरिए पंजीकृत हकत्याग दिनांक 6/3/2014 के आधार पर जरिए नामान्तरण संख्या 682/16/6/2015 द्वारा प्राप्त हुई है। पंजीकृत वसीयत व बतौर वारिस शंकर सिंह से अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता को उक्त आराजी में हक हिस्सा प्राप्त हुआ है। पंजीकृत वसीयत एवं दस्तबरदारी के समय वादी, प्रतिवादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता उपस्थित थे एवं उनके हस्ताक्षर अंकित है। पंजीकृत वसीयत एवं दस्तबरदारी से प्रार्थी एवं अप्रार्थी विबंधित है। अप्रार्थी स्व० जंगीर सिंह के वारिस होने के नाते खातेदार काश्तकार है एवं सह खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

बहस सुनी गई। तथ्यों पर मनन किया गया। प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में एक वाद पत्र अनवाजी खजान V/S जोगेन्द्र सिंह आदि वाद संख्या 319/2020 विचाराधीन है। जिसमें जोगेन्द्र सिंह बतौर प्रतिवादी सं० -1 पक्षकार है एवं जरिए अधिवक्ता उपस्थित है। जिसमें वादी ने संयुक्त खाते की जमीन होने से बन्धन नहीं करने का अनुतोष चाहा है, जंगीर सिंह के हिस्से को लेकर कोई इन्कार नहीं किया है। बहस के दौरान पाया कि शंकर सिंह ने प्रश्नगत आराजी की पंजीकृत वसीयत दिनांक 7/5/2010 एवं शंकर सिंह की पुत्रियों द्वारा पंजीकृत हकत्याग दिनांक 6/3/2014 द्वारा उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता को प्राप्त हुई है एवं उन समस्त के हस्ताक्षर अंकित है। अतः वादी को शुरु से ही वसीयत अनुसार एवं हकत्याग अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के हक हिस्सा की जानकारी थी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं बनता है। वर्णित आराजी में वादी, प्रतिवादी सं० 1 ता 5 तथा प्रतिवादी सं० -6 खातेदार काश्तकार है अतः अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में निहित नहीं होता है।

..... बनाम .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र के अन्य तथ्यों का निर्धारण गुण-अवगुण के आधार पर होना है। अतः इस स्तर पर वादी द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय स्थगन को बनाए रखना किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 इसी स्तर पर आदेशित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़